7-4-22

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25-2-22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश विवादित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर धारा 135(2) में माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः क्षेत्राधिकार न होने के कारण अपील वापिस लौटाई जाकर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपीलाधीन इंतकाल बिना सुनवाई किए पारित किया गया है। एकतरफा आदेश पारित किया गया है। रेस्पो0 सं0 3 से 9 प्रभावित पक्षकार हैं। करनैलसिंह का 1/10 हिस्सा ही था, उससे ज्यादा वसीयत करने का अधिकार नहीं था। मृतक के नाम वसीयत नामान्तरण के साथ पुनः नामान्तरण कर दिया जो कि गलत है। कब्जा हिस्से अनुसार मौके पर अपीलांट का है। रेस्पो0 सं0 7 वर्तमान में जीवीत है जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में फौत होना जाहिर किया है। इंतकाल नियत विरूद्व होने से खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट लाभसिंह द्वारा दिनांक 16-4-15 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयतन इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया था, लेकिन तत्समय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। बाद में दिनांक 21-9-20 को रेस्पो0 बलदेवसिंह - छिन्द्रसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयत दिनांक 7-7-14 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 797 दिनांक 12-01-21 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल की कार्यवाही में अपीलार्थीगण को न तो सूचना जारी की गई और न ही विधिवत् नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया जबकि अपीलार्थी लाभसिंह द्वारा पूर्व में दिनांक 16-4-15 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंतकाल से व्यथित होकर प्रार्थी- अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17-6-21 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। चूँकि अपीलार्थी लाभसिंह द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था इसलिए अपीलाधीन इंतकाल विवादित हो गया है। शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू /जीआर/4/87/29/जीएसआर/60 दिनांक 20-6-87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियाँ माननीय संभागीय आयुक्त को हैं। न्यायिक दृष्टान्त 2006(1) आर आर टी पेज 726 एवं 1997 आर बी जे पेज 198 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि Rajasthan Land Recenue Act 1956 - Section 135[2] in case of disputed Mutation - Appeal will lie before the

जिला कलेक्टर (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

Commissioner.

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, श्री करणपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के सन्दर्भ में अपीलार्थी लाभसिंह के प्रार्थना पत्र को दरकिनार करते हुए पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित था इसलिए अपीलाधीन इंतकाल विवादित हो जाने के कारण धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से अपीलार्थीगण को सक्षम न्यशयालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे एवं रेकार्ड लौटाया जावे। आदेश आज दिनांक 7-4-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner